[This question paper contains 8 printed pages.]

1256 *Your Roll No.* .....

आपका अनुक्रमांक _____

LL.B.

V Term

JS

Paper LB-5037 : ENVIRONMENTAL LAW

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

समय : 3 घण्टे *पूर्णांक : 100*

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note :– Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :– इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt **five** *questions including Question No.* **1** *which is compulsory.*
All *questions carry equal marks.*

अनिवार्य प्रश्न क्रमांक **1** *सहित कुल* **पाँच** *प्रश्न कीजिए।*
सभी *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

P.T.O.

1. Attempt briefly any **FOUR** of the following :–

   (i) Distribution of legislative power under Constitution of India for environmental matters.

   (ii) Principle of common but differentiated responsibility.

   (iii) Public Interest Litigation (PIL) in environmental matters.

   (iv) The concept of absolute liability.

   (v) Interpretation of Article 19(1)(g) of Constitution of India in relation to environment.

   निम्नलिखित में से किन्हीं चार के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

   (i) भारत के संविधान के अधीन पर्यावरणीय मामलों के लिए विधायी शक्ति का वितरण।

   (ii) साझे पर विभेदीकृत उत्तरदायित्व का सिद्धान्त।

   (iii) पर्यावरणीय मामलों में लोक हित मुकदमा।

   (iv) आत्यंतिक दायित्व की संकल्पना।

   (v) पर्यावरण के सम्बन्ध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का निर्वचन।

2. "International environmental law aims to protect the biosphere from major deterioration that could endanger its present and future functioning." Discuss with reference to major international developments starting from 1972 till present times.

   "अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधि का लक्ष्य जीव-मंडल को उस भारी बिगाड़ से संरक्षित रखना है जिससे इसके वर्तमान तथा भावी कार्यचालन

को खतरा पैदा न हो सके।" 1972 से शुरू करते हुए वर्तमान समय तक के प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सन्दर्भ में विवेचन कीजिए।

3. (i) The residents of XY Nagar filed a PIL under Article 32 of the Constitution of India for the closure of about 100 dyeing and printing industrial units situated in XY Nagar under Article 21 of the Constitution of India. According to the residents (petitioners), these units discharged air pollutants and untreated effluents containing chemical toxicants, thereby, polluting air and water and thus causing ecological deterioration of the entire area. Decide whether the PIL is maintainable.

(ii) "Right to know is critical in environmental matters for greater public participation." Discuss the statement in the light of Article 19(1)(a) of the Constitution of India and various environmental statutes.

(i) एक्स-वाई नगर में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन स्थित लगभग 100 रंजन तथा मुद्रण औद्योगिक इकाइयों की बंदी हेतु एक्स-वाई नगर के निवासियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन एक लोक हित मुकदमा फाइल कर दिया। उक्त निवासियों (याचिकाकर्ताओं) के अनुसार ये इकाइयां वायु प्रदूषकों तथा रासायनिक विष रखने वाले असंसाधित बहिस्रावों का स्रवण करती हैं जिससे वायु तथा जल प्रदूषित होता है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में पारिस्थितिक विकृति आ जाती है। विनिश्चय कीजिए कि क्या यह लोक हित मुकदमा पोषणीय है ?

P.T.O.

(ii) "पर्यावरणीय मामलों में बृहत्तर सार्वजनिक भागीदारी हेतु सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण होता है।" भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों की दृष्टि से उक्त कथन का विवेचन कीजिए।

4. (i) "The inadequacies of Science have led to the precautionary principle; the said precautionary principle in its turn, has led to the special principle of burden of proof in environmental cases." Elucidate the statement with reference to Indian environmental jurisprudence.

(ii) 200 industrial units in Sanjay Nagar area were manufacturing castor oil and its derivatives. During its manufacturing process, untreated hazardous wastes were discharged in river Karjan. ZY, an NGO filed a PIL before the High Court alleging that the discharge of untreated hazardous waste polluted the entire surface and subsoil of river Karjan, thereby, resulting in non-availability of potable water to residents of that area and thus the Polluter Pays Principle be applied against the offending industries. Decide with the help of case law.

(i) "विज्ञान की अपर्याप्तताओं के कारण पूर्वावधानीपरक सिद्धान्त बन गया; उक्त पूर्वावधानीपरक सिद्धान्त ने पर्यावरणीय मामलों में अपनी ओर से सबूत के भार के विशेष सिद्धान्त का उद्भव कराया।" भारतीय पर्यावरणीय विधिशास्त्र के सन्दर्भ में उक्त कथन की विशद व्याख्या कीजिए।

(ii) संजय नगर क्षेत्र में 200 औद्योगिक इकाइयां केस्टर ऑइल तथा इसकी व्युत्पत्तियों का विनिर्माण कर रहीं थी। उन्होंने विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उपचारित किए बिना जोखिमपूर्ण अपशिष्टों को करजान नदी में स्रवित कर दिया। एक गैर-सरकारी संगठन ZY ने यह अभिकथित करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष लोक हित मुकदमा दायर कर दिया कि उपचारित किए बिना जोखिमपूर्ण अपशिष्टों के स्रवण से करजान नदी की सम्पूर्ण सतह तथा अवभृदा प्रदूषित हो गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्र के निवासियों को पेय जल मिलना बन्द हो गया। तथा इस कारण दोषी उद्योगों के विरूद्ध "प्रदूषक को भुगतना है" सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिए। निर्णय विधि की सहायता से विनिश्चय कीजिए।

5. "The Bhopal disaster lawsuit raised complex legal and political issues starting from choice of forum to interim compensation to compromise judgement and finally review of settlement." Discuss in detail.

भोपाल आपदा सम्बन्धी विधिक वाद से जटिल विधिक तथा राजनीतिक मुद्दे उभर आए जो फोरम के चयन से शुरू होकर निर्णय सम्बन्धी सौदेबाजी करने हेतु अंतरिम प्रतिकर तक और अंतिमतः समझौते के पुनर्विलोकन तक पहुंच गए। सविस्तार विवेचन कीजिए।

6. (i) The State Government leased out a part of protected forests purely for commercial purposes to construct hotels and resorts. Discuss the legality of the order in the light of 'Government in trusteeship' Doctrine.

P.T.O.

(ii) M/S Y Soap Industry, was situated in a thickly populated area and was causing air, water and noise pollution. The Central Government issued directions to close down the industry and disconnect water and electricity connections under Environment (Protection) Act 1986, only after giving repeated notices to the industry to ensure proper and effective functioning of industrial unit. Decide the validity of the directions passed by Central Government by discussing important provisions of the Act.

(i) राज्य सरकार ने संरक्षित वन के एक भाग को होटलों तथा रिजार्टों का निर्माण करने के लिए विशुद्धत: वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु पट्टे पर दे दिया। "Government in trusteeship" सिद्धान्त को ध्यान में रखकर उक्त आदेश की विधिकता का विवेचन कीजिए।

(ii) मैसर्स Y सोप इन्डस्ट्री सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थित थी तथा वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण कारित कर रही थी। केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को इस औद्योगिक इकाई का उचित तथा प्रभावी परिचालन सुनिश्चित करने के लिए बार-बार नोटिस देने के पश्चात ही उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बन्द करने और बिजली-पानी के कनक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए। अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्धों का विवेचन करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित निदेशों की विधिमान्यता का विनिश्चय कीजिए।

7. M/S EF Industries applied for a Consent Order to the State Pollution Control Board (SPCB) to start tyre-retreading factory under the Air Act 1981. The SPCB, after making necessary enquiries, granted the Consent Order subject to a condition that the industry shall follow the cold-retreading tyre process in order to ensure no air pollution was caused. Discuss the legality of Consent Order by elaborating the main provisions of Air Act 1981.

मैसर्स EF उद्योग ने वायु संरक्षण अधिनियम 1981 के अधीन टायर रिट्रीडिंग फैक्टरी प्रारंभ करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्पत्ति आदेश हेतु अर्जी दी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आवश्यक पूछताछ करने के बाद इस शर्त के अध्यधीन सम्मति आदेश प्रदान कर दिया कि उद्योग कोई वायु प्रदूषण कारित नहीं होगा यह सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड रिट्रीडिंग टायर प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। वायु संरक्षण अधिनियम 1981 के प्रमुख उपबन्धों की व्याख्या करते हुए सम्मति आदेश की वैधता का विवेचन कीजिए।

8. (i) Rajya Sewak, a public spirited NGO filed a PIL before HC challenging the legality of order passed by Chief Conservator of Forests under Section 2 of the Forest (Conservation) Act 1980. The NGO contended that the Chief Conservator of Forests had leased out a part of reserved forests to M/S CD Resorts for putting up a Snack bar and restaurant to cater the needs of tourists visiting the area, without taking prior approval of Central Government. Decide the legality of the Order with help of judicial precedents.

P.T.O.

(ii) "The Biological Diversity Act 2002 adopts a comprehensive approach to conserve India's biodiversity and its sustainable use along with equity in sharing benefits from such use of resources." Discuss in detail.

(i) एक लोक उत्साही गैर-सरकारी संगठन 'राज्य सेवक' ने मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन पारित आदेश की विधिकता को आक्षेपित करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक लोक हित मुकदमा दायर कर दिया। गैर-सरकारी संगठन ने प्रतिवाद किया कि मुख्य वन संरक्षक ने केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्नैक बार तथा रेस्त्रां स्थापित करने हेतु मैसर्स सी डी रिजार्ट्स को आरक्षित वन का एक भाग पट्टे पर दे दिया। न्यायिक नज़ीरों की सहायता से उक्त आदेश की वैधता विनिश्चित कीजिए।

(ii) "जैव-विविधता अधिनियम, 2002 में भारत की जैव-विविधता को संरक्षित रखने तथा इसके सतह प्रयोग के लिए जोकि संसाधनों के इस प्रकार के प्रयोग के लाभों के शेयरों में साम्यता सहित हो, व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण किया गया है।" सविस्तार विवेचन कीजिए।